



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272882
CG-DL-E-26052026-272882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2560]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 2652(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं 564 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

तालिका

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
564	एनई 5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में रानी खेड़ा गांव के निकट एनएच-344एम के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में जसौर खेड़ा गांव, खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बरता के पास केएमपी (कुंडली- मानेसर- पलवल) एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला, पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पतरान, भवानीगढ़, धूरी, मालेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लापुर ढाका, नूरमहल, कंगसाहबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाईपास, बलसुआ, संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में कटरा के निकट एनएच संख्या 144 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे।

[फा. सं. रारा-14012/5/2026 -पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 2064(अ), दिनांक, 23 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

S.O. 2652(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 564 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
564	NE 5	<i>The Expressway starting from its junction with NH-344M near Rani Khera village in the NCT of Delhi connecting KMP (Kundli- Manesar- Palwal) expressway near Jasaur Kheri village, Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur, Gurdaspur Bypass, Balsua in the State of Punjab, Rajbagh, Chadwal, Ghagwal, Jatwal, Supwal, Domel and terminating at its junction with NH No. 144 near Katra in the Union Territory of Jammu and Kashmir .</i>

[F. No. NH-14012/5/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2064(E), dated 23th April, 2026.